

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही इनीशियल्स

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक  
की तामील में जारी हु

लिखा गया। उक्त प्रार्थना सुनी गई  
वकील अदी का वाद पत्र राफ्तकारी  
कार्रकारी अधिनियम 1955 की  
धारा 88, 188 का रूकीकाउ लिखा  
जाकर नियम प्रथम से लिखवाय  
जाकर शाकिल पत्रावली लिखा गया।  
पत्रावली केवल शुमार केरुद म्पर  
से का केरुद दायिल दफ्तर  
की

  
उपखण्ड अधिकारी  
बसेकी (भोजपुर) राज.